भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1570

(28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

असम में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत परियोजनाएं

1570. मोहम्मद रकीबुल हुसैन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान असम के धुबरी लोक सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत स्वीकृत, पूर्ण और वर्तमान में कार्यान्वित किए जा रहे सड़क कार्यों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई कुल राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि धुबरी लोक सभा क्षेत्र में कई पीएमजीएसवाई सड़कें अधूरी हैं या बारंबार आने वाली बाढ़ों और नदी के कटाव के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें पूरा करने या इनकी मरम्मत करने में देरी के क्या कारण हैं; और

(घ) धुबरी लोक सभा क्षेत्र में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों को समय पर पूरा करने, गुणवत्ता रखरखाव और इनका जलवायु-अनुकूल पुनर्निर्माण सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए या करने का विचार है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) असम के धुबरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत चार ज़िले, अर्थात् धुबरी तथा बरपेटा, बोंगईगांव एवं गोलपारा के कुछ भाग आते हैं। धुबरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पिछले पाँच

वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत स्वीकृत एवं निर्माण पूर्ण किए गए सड़क एवं पुल कार्यों तथा वर्तमान में चल रहे कार्यों का ज़िला-वार विवरण निम्नानुसार है:

जिले	स्वीकृत			निर्मित			चल रहे		
	सड़कों की संख्या	सड़कों की लंबाई (कि.मी.)	पुलों की संख्या	सड़कों की संख्या	सड़कों की लंबाई (कि.मी.)	पुलों की संख्या	सड़कों की संख्या	सड़कों की लंबाई (कि.मी.)	पुलों की संख्या
बारपेटा (हिस्सा)	6	35	5	3	31	2	3	5	3
बोंगईगांव (हिस्सा)	32	73	1	3	28	0	29	45	1
धुबरी	23	43	7	1	3	0	22	40	7
गोलपारा (हिस्सा)	6	16	0	1	8	0	5	9	0
कुल	**67**	**167**	**13**	**8**	**70**	**2**	**59**	**99**	**11**

(ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत, निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र रूप से जारी की जाती हैं, न कि पृथक रूप से निर्वाचन क्षेत्रों/ज़िलों को। वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2026-27 (23.07.2026 तक) के दौरान, पीएमजीएसवाई के तहत असम राज्य को ₹3,044.62 करोड़ की केंद्रीय निधि जारी की गई है। इसी अवधि के दौरान, राज्य द्वारा पीएमजीएसवाई परियोजनाओं पर ₹4,763.54 करोड़ (राज्य अंश सहित) का व्यय किया गया है।

(ग) राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, धुबरी निर्वाचन क्षेत्र के अधिकांश हिस्से बाढ़ संभावित हैं, तथापि, पीएमजीएसवाई की किसी भी सड़क को बाढ़ से कोई गंभीर क्षति नहीं पहुंची है। मामूली मरम्मत कार्यों के साथ-साथ शेष पीएमजीएसवाई सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(घ) पीएमजीएसवाई कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार, पीएमजीएसवाई परियोजनाओं का, योजना की समय-सीमा के भीतर, निष्पादन राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है। तथापि, ग्रामीण

विकास मंत्रालय ने पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत सड़क कार्यों के निष्पादन में तेज़ी लाने हेतु कई पहलें की हैं, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:-

i. क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों (आरआरएम), निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) की बैठकों, मासिक समीक्षा बैठकों तथा राज्यों के साथ पूर्व-अधिकार प्राप्त/अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों के माध्यम से कार्यक्रम की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

ii. राज्यों को सलाह दी जाती है कि वे भूमि संबंधी मुद्दों, वन मंज़ूरी आदि से जुड़े मामलों को शीघ्र निपटाने और कार्यों के निष्पादन में तेज़ी लाने हेतु संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित करें।

iii. राज्यों से कार्य निष्पादन क्षमता और अनुबंध करने की क्षमता बढ़ाने का अनुरोध किया गया है, और इस संबंध में उनके अनुपालन की नियमित समीक्षा की जाती है।

iv. क्षमता निर्माण के लिए क्षेत्रीय इंजीनियरों, ठेकेदारों और उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

v. मंत्रालय ने पीएमजीएसवाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में ठेकेदारों को लुभाने के उद्देश्य से राज्यों में कई ठेकेदार आउटरीच कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं।

पीएमजीएसवाई के दिशानिर्देशों के अनुसार, सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने वाली राज्य सरकारों की है। सरकार ने यह निष्पक्ष रूप से सत्यापित करने के लिए एक मजबूत त्रि-स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन तंत्र बनाया है कि पीएमजीएसवाई सड़कें निर्धारित तकनीकी मानकों, जिनमें टिकाऊपन और जलवायवीय तनाव के प्रति अनुकूलता शामिल है, को पूरा करती हैं:

- **प्रथम स्तर (इन-हाउस):** कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयां (पीआईयू) ठेकेदारों द्वारा स्थापित क्षेत्र प्रयोगशालाओं में सामग्रियों और कारीगरी पर अनिवार्य परीक्षणों के माध्यम से प्रक्रिया नियंत्रण के लिए जिम्मेदार हैं।
- **द्वितीय स्तर (स्वतंत्र राज्य स्तरीय):** स्वतंत्र राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ता (एसक्यूएम) निर्माण के तीन महत्वपूर्ण चरणों: प्रारंभिक, मध्य और अंतिम चरणों में संरचित निरीक्षण करते हैं।
- **तृतीय स्तर (स्वतंत्र केंद्रीय स्तरीय):** राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ता (एनक्यूएम), जो सेवानिवृत्त वरिष्ठ इंजीनियर होते हैं, ज़िलों में बिना किसी पूर्व सूचना के यादृच्छिक निरीक्षण करते हैं। उनकी भूमिका कार्य की गुणवत्ता और राज्य की गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का निष्पक्ष तृतीय-पक्ष लेखा-परीक्षण प्रदान करना है।

इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार, इस योजना के तहत निर्मित सड़कों का रखरखाव राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। मानक निविदा दस्तावेज के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत सभी सड़क कार्य निर्माण अनुबंध के साथ ही उसी ठेकेदार के साथ किए जाने वाले शुरुआती पांच वर्षीय रखरखाव अनुबंध के अंतर्गत आते हैं। रखरखाव निधि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की जाती है। 5 वर्ष पूरे होने के बाद भी सड़कों का रखरखाव राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ही किया जाता है। मंत्रालय ने पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कों के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करने और पीएमजीएसवाई सड़कों के नियमित रखरखाव की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों के इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव (ई-मार्ग) को लागू किया है।

इसके अलावा, जलवायु अनुकूलता और स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय लागू हैं:

- **डिजाइन वेटिंग:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि संरचनात्मक डिजाइन विशिष्ट क्षेत्रों और स्थानीय जलवायु के अनुकूल हैं (उदाहरण के लिए, बाढ़ संभावित जिलों में उच्च तटबंध), सभी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की जांच राज्य तकनीकी एजेंसियों (एसटीए) (जैसे एनआईटी/आईआईटी) द्वारा की जाती है।
- **हरित प्रौद्योगिकी का अनिवार्य प्रयोग:** वर्ष 2013 से, राज्यों के लिए इस योजना के तहत स्वीकृत सड़कों के निर्माण हेतु नई/हरित तकनीकों (जैसे अपशिष्ट प्लास्टिक, कोल्ड मिक्स, और सेल फिल्ड कंक्रीट) का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है। इन तकनीकों, विशेष रूप से अपशिष्ट प्लास्टिक, ने पानी से होने वाले नुकसान के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ाने में सफलता हासिल की है।
- **आईआरसी मानक:** सड़क के डिजाइन भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) कोड का पालन करते हैं, जिसमें अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जल निकासी और स्थायित्व के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं।
